न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबडी (नागौर)
बइजलास श्री गौरीशंकर शर्मा,आर.ए.एस
राजस्व वाद संख्या : 57/2018

वादी :–
1–तुलछाराम पुत्र भेरारामजाति जाट
निवासी लाम्पोलाई तहसील रियांबड़ी जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण :–
1–तहसीलदार रियांबड़ी
2–पटवारी हलका लाम्पोलाई

दावा बाबत घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती अंतर्गत धारा 88 आरटीएक्ट 1955

निर्णय

दिनांकः–04.05.2018

वादी निम्नलिखित वाद पेश करता है:–

1–यह है कि ग्राम गवारड़ी की सरहद में पुराने खसरा नंबर 424/1 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा,खसरा नंबर 414 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा वाके स्थित है। जिसमें खसरा नंबर 424/1 सम्पूर्ण व खसरा नंबर 414 में सें रकबा 1.16 बीघा अर्थात 6 बीघा वादी ने जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 19.12.2003 को शंकरराम पुत्र प्रभूराम जाति जाट निवासी गवारड़ी वालो से खरीद किया था। जिस पर वादी का सम्पूर्ण खातेदारी हक हकूक व अधिकार का चला आ रहा है।

2–यह है कि पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजी को आगे वाद में विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा।

3–यह है कि विवादित आराजी रकबा 6 बीघा पर वादी का खरीद के समय से काश्त व कब्जा है। परंतु राजस्व रेकार्ड में नामान्तकरण दर्ज नहीं हो सका था। बेचानकर्ता शंकरराम का स्वर्गवाससस हो चूका है व उसके स्थान पर उसके उतराधिकारीगणो का राजस्व रेकार्ड में नामान्तकरण दर्ज हो चूका है। जो अपने गलत नामान्तकरण के आधार पर वादी को बेचान की भूमि को खुर्द बुर्द करने पर उतारू है। जिसका उनको कोई अधिकार नहीं है। शंकरराम के उतराधिकारीगणो के मन में बदयान्ति आ सकती है। इसलिए वादी यह घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत कर रहा है।

4–यह है कि बेचानकर्ता शंकरराम के उतराधिकारीगणो का नाम वर्तमान राजस्व रेकार्ड में होने की वजह से भूमि खुर्द बुर्द कर दी तो वादी के साथ भारी अन्याय होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी मापदण्ड से नहीं की जा सकेगी।

5–यह है कि बेचानकर्ता शंकरराम के उतराधिकारीगणो ने गैर कानूनी रूप से अन्य को बेचान कर दी तो वादी को अपूर्णीनीय क्षति होगी। वादी बर्बाद हो जायेगा। अभी हाल ही में हुए नये सेटलमेंट में पुराने खसरा नंबरब 414 व 424/1 के नये खसरा नंबर 975 रकबा 0.98 हैक्टर कायम किये गये है।

अतः वादी इस्तदुआ यह है कि ग्राम गवारड़ी के खसरा नंबर 975 रकबा 0.98 हैक्टर की खातेदारी वादी के नाम से जरिए रजिस्टर्ड बेचाननामा के आधार पर घोषित की जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की जावें।

अध्यक्ष
राजस्व लोक अदालत
केम्प कोर्ट ........
रियां बडी

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन जबाब हेतु तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जबाब में बताया कि वादी तुलछाराम पुत्र भैराराम जाति जाट ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.12.2003 क.सं. 610/03 से खातेदार शंकरराम पुत्र प्रभूराम जाति जाट निवासी गवारड़ी से खसरा नंबर 424/1 रकबा 4.4बीघा व खसरा नंबर 414 रकबा 8.10 बीघा में से 1.16 बीघा कुकल रकबा 6 बीघा का बेचान किया गया।

भू–प्रबंध विभाग ने गत खसरा नंबर 424/1 व 414 का नया खसरा नंबर 975 रकबा 2.06 हैक्टर कायम किया गया। भूमि का बेचाननामा शंकरराम पुत्र प्रभूराम ने निस्पाद किया। शंकरराम पुत्र प्रभूराम की मृत्यु होने पर विरासत का नामान्तकरण वारिसान रामेश्वर,शांति पिसरान शंकरराम सीतादेवी पत्नि शंकरराम के नाम खाातेदारी दर्ज हो गई। वर्तमान जमाबंदी संवत् 2073–2076 के खााता संख्या 273 में खसरा नंबर 975 रकबा 0.98 किस्म बा–3 लगान 3.92 रामेश्वर सांयती पि.शंकरराम सीतादेवी पत्नि शंकरराम जाट गवारड़ी खातेदार दर्ज है।

उपरोक्त बेचाननामें का नामान्तकरण नहीं हुआ है। उक्त खसरा नंबर 975 का मूल रकबा 2.06 में से बेचान होने पर जमाबंदी संवत् 2073–2076 के खाता संख्या 20 खसरा नंबर 975/1093 रकबा 1.08 की खातेदारी कबूदेवी पत्नि पांचाराम जाट सा.हिंदासकलां के नाम खातेदारी दर्ज हुई। मूल खसरा 975 का शेष रकबा 0.98 विक्रेता खातेदार शंकरराम पुत्र प्रभूराम के वारिसानो के नाम दर्ज है। खसरा नंबर 975 रकबा 0.98 पर जो खरीददार जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 19.12.2003 के तुलछाराम पुत्र भेराराम जाति जाट लटियाल का माफिक बेचान नामें के मौके पर काब्जा काश्त है। विक्रय पत्र का पूर्व में नामान्तकरण दर्ज नहीं किया गया। अतः क्रेता तुलछाराम पुत्र मेराराम जाति जाट निवासी लाम्पोलाई को माफिक बेचान खातेदारी अधिकार दिया जाना उचित है।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा कैम्प गवारड़ी में पेश हुई। वकील वादी उपस्थित व प्रतिवादी संख्या 1 उपस्थित। बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के संलग्न साक्ष्य दस्तावेज,जमाबंदी,बेचाननामा का अवलोकन किया गया। तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जबाब दावा पर मनन किया गया। जिससे पाया गया कि वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी को जरिए रजिस्टर्ड बेचाननामा से खरीद की है और कब्जा काश्त भी आ दिनांक उन्हीं का है। मगर बेचाननामा का नामान्तकरण नहीं हुआ। जबकि वादी ने वादग्रस्त आराजी को क्रय की है। इसलिए उनका नाम खातेदारी दर्ज की जानी वाजिब है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। तथा वादी के नाम बेचाननामा के आधार पर खातेदारी घोषणा की जाती है कि:–

" मौजा गवारड़ी के खसरा नंबर 975 रकबा 0.98 हैक्टर भूमि वादी के नाम खातेदारी की घोषित की जाती है।"

तहसीलदार रियांबड़ी उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। इसी आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

अध्यक्ष

( गौरीशंकर शर्मा )
राजस्व लोक अदालत 18
कैम्प–गवारड़ी
उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी जिला-नागौर

निर्णय आज दिनांक 04.05.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प गवारड़ी मे सुनाया गया ।

अध्यक्ष

( गौरीशंकर शर्मा )
राजस्व लोक अदालत 18
कैम्प–गवारड़ी
उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी जिला-नागौर